संख्या– 615 /XXXVI(2)/22/12–बजट/2022

प्रेषक,

आर0के0श्रीवास्तव,
अपर सचिव, न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

4136
16/10/22
13/10/22

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

न्याय अनुभाग–02

देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2022

विषय– केन्द्र पोषित (CSS) योजनान्तर्गत अल्मोडा जजशिप के अन्तर्गत सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय, रानीखेत के अनावासीय भवन के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 3189/U.H.C./Admn.B/IX-b/2015, दिनांक 12.07.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **केन्द्र पोषित (CSS) योजनान्तर्गत अल्मोडा जजशिप के अन्तर्गत सिविल जज (जू0डि0) न्यायालय, रानीखेत के अनावासीय भवन के प्रथम चरण के निर्माण कार्यो** हेतु कार्यदायी संस्था, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत, (अल्मोडा) द्वारा गठित आगणन की विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत औचित्यपूर्ण कुल लागत ₹ 43.01 लाख (₹ तैंतालिस लाख एक हज़ार मात्र) (केन्द्रांश ₹ 38.71 लाख एवं राज्यांश ₹ 4.30 लाख) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को शासनादेश संख्या–318/XXXVI(2)/22/24(बजट)/2021 दिनांक 02 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या 497/XXXVI(2)/22/24(बजट)/2021 दिनांक 29 जून, 2022 द्वारा महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के नाम से मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में खुले बैंक बचत खाता संख्या 40331485048 CIF No. 90791827711 (Single Nodal Account) में अन्तरित की गयी धनराशि से उपरोक्तानुसार प्रयोजन हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) भारत सरकार द्वारा PFMS की निर्गत पुनरीक्षित प्रकियानुसार व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(13)PFMS/FCD/ 2020, दिनांक 23.03.2021 व विधि एवं न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या J-11017/35/2015-JR (e-566) दिनांक 30.03.2022 द्वारा प्रदत्त समस्त दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 318/XXXVI(2)/22/ 24(बजट)/2021 दिनांक 02 मई, 2022 एवं शासनादेश संख्या 497/XXXVI(2)/22/24(बजट)/2021 दिनांक 29 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रश्नगत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में समय सारिणी इस प्रकार तैयार करा ली जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ प्राप्त करते हुए अविलम्ब उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन में प्रस्तुत किये जायें।

(5) निर्माण कार्य को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण किया जायेगा और पुनरीक्षित आगणन पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(6) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

कमशः–2

AE(B)/AAE(T)

S.A.O. III
1.9.22

EE

(7) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त पूर्ण कार्य या इसके कोई भाग के विषय में यदि कोई धनराशि अन्य विभागीय बजट से स्वीकृत की गई हो तो उसे इस योजना के प्रति बुक करके उस धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

(8) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

(9) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(10) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया जाय।

(11) आगणन में धनराशि जिन मदों हेतु स्वीकृत की गई है, उसी मद में व्यय की जाय। एक मद की राशि दूसरी मद में किसी भी दशा में व्यय न की जाय।

(12) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

(13) निर्माण कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006), दिनांकः 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

(14) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(15) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, या वर्तमान कार्य में एक भाग की डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाये।

(16) द्वितीय चरण के विस्तृत आंगणन को प्रेषित करते समय यह प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये कि "प्रथम चरण के प्रस्तावित कार्य पूर्ण हो चुके है"।

(17) कार्य का विस्तृत आगणन गठित करते समय प्रथम चरण की स्वीकृत धनराशि विस्तृत आगणन की कुल धनराशि से माईनस करते हुए विस्तृत आगणन गठित किया जायेगा।

(18) वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गमन विषयक शासनादेश संख्याः 391/9(150)2019/XXXVI(1)/2022 दिनांक 24.06.2022 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0–27/मतदेय/XXVII (5)/2022–23 दिनांक 31 अगस्त, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आर0के0श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

क्रमशः—3